पंजीयन क्रमांक 181

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 205 दिनांक 30–06–2012</u>

झोन क्रमांक 4 वार्ड क्रमांक 22 सेक्टर ए एक्स. औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड़ यश होजियारी इंडिया प्रा.लि. 50 सेक्टर ए के पास से जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने एवं पानी हेतु स्ट्रार्म वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 77/सी.ई./बिल्स/11–12 दिनांक 29.6.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 33,27,885/– पर दिनांक 18.05.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स ओम आदेश इन्टरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 2.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 66,557/– सहित कुल आकार राशि रूपये 33,94,442/– एवं जनसहयोग के रूप में कार्य में लगने 6,870 बेग सीमेंट राशि रूपये 18,89,250/– की प्राप्त की जावे। इस प्रकार कुल राशि रूपये 52,83,692/– के कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 182

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 206 दिनांक 30–06–2012

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 58 विज्ञान नगर में म. नं. 229 से 251 एवं 303 से 293 तक जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 78/सी.ई./बिल्स/11–12 दिनांक 29.6.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर का र्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,66,084/– पर दिनांक 08.06.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स रामा कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 3.91 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 33,863/– सहित कुल आकार राशि रूपये 8,99,947/– एवं जनसहयोग की राशि रूपये 2,10,220/– सहित कुल राशि रूपये 11,10,167/– के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 195

मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 207 दिनांक 30.6.12

आग लग जाने से हुई क्षति की पुर्ति हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के सबंध में आवेदक श्री मनोहरलाल पिता स्व.रामनिवास मंहत पता- म.न.35/1 गोमा की फेल इंदोर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को **5000/-(पाँच हजार रूपए मात्र)** की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौसिंल/प्रेसिडेंट इन कौसिंल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक **श्री मनोहरलाल पिता स्व.रामनिवास मंहत** के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.................... दिनांक..................

प्रतिलिपीः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 196

मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 208 दिनांक 30-6-12

स्वंयम के शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के सबंध में आवेदक श्री विकास पिता घनश्याम लोट पता-राजमौहल्ला इन्दौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय, की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को रूपये 2500/-(**अक्षरी रू.दो हजार पाँच सौ रूपए मात्र**)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 '' आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय'' में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौसिंल/प्रेसिडेंट इन कौसिंल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक **सराफा विद्या निकेतन** के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक........... दिनांक.............

प्रतिलिपीः-

1- आयुक्त,नगर पालिक निगम,इंदौर
2- रेसीडेन्ट आडिट
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 197

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 209 दिनांक 30–06–2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 150 श्रमिकों की समयावधि में वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 137 दिनांक 20.06.12 पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उद्यान समिति की राय क्रमांक 15 /खाद्य दिनांक 26–06–2012 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 53 दिनांक 20.06.2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उद्यान विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 150 श्रमिकों को वृक्षा रोपण की देख–रेख, निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई चौकीदारी व अन्य बताए आवश्यक कार्य करने हेतु मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 53 दिनांक 20.06.2011 के तारतम्य में एक वर्ष तक कार्य लेने की स्वीकृति दी गई थी । जिसकी समयावधि दिनांक 29–03–2012 को समाप्त हो रही है। उक्त श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस के आधार पर पुनः 150 मस्टर श्रमिकों की अवधिवृद्धि की दिनांक 01–04–12 से 31.12.012 तक बढ़ाकर की नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 9430690 '' अस्थाई श्रमिकों पर व्यय'' में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 198

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 210 दिनांक 30–06–2012</u>

ब्लॉक नंबर 97 मकान नंबर 43, रोड़ नं. 6 परदेशीपुरा, इन्दौर का पैकी भाग 1500 वर्गफुट भूमि का लीज नामांतरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 555/लीज इन्दौर, दिनांक 04.06.2012 पर राजस्व समिति की राय क्रमांक दिनांक 30.06.12 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 186 दिनांक 13–08–2010 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका उल्लेखित अनुसार ब्लॉक नं. 97 मकान नं. 43 रोड़ नं. 6 परदेशीपुरा की 2400 वर्गफुट भूमि, इन्दौर सुधार न्यास द्वारा श्री मूलचंद पिता पल्टु को 12/– वार्षिक लीज दिनांक 20–03–1932 में 99 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर आवंटित की गई थी। लेसी श्री मूलचंद पिता पल्टु की दिनांक 13–08–1992 को मृत्यु हो जाने से तथा मूलचंद पिता पल्टु की वारीस पत्नी श्रीमती रतनबाई पल्टु की मृत्यु दिनांक 25–07–1987 को हो गई तथा रतन बाई की मृत्यु के पश्चात वारीस पुत्रो द्वारा कुल 2400 वर्गफुट भूमि में से 1500 वर्गफुट भूमि/भवन आवेदिका श्रीमती सुषमा पति राजेन्द्र तिवारी को विक्रय कर दिया गया। क्रय कर्त्ता श्रीमती सुषमा पति राजेन्द्र तिवारी द्वारा क्रय की गई 1500 वर्गफुट भूमि का आवेदन प्रस्तुत कर अपने नाम लीज नामांतरण चाहा गया है।

3. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 में नगर पालिक निगम में वैष्ठित होने वाली या उसे प्रबंध के अधीन सम्पत्ति के निराकरण को शासीत करने वाले आदेश संबंधित प्रावधान है इसी तहत मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम 1994 बनाये जाकर प्रभावशील है। इन नियमों में प्रथम आवंटी को बिक्री करने का अधिकार एवं निगम उसे क्रेता द्वितीय आवंटी मानकर अंतरण करेगा ऐसा प्रावधान नहीं है। शासन के उक्त नियम एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 24–04–2010 में दिए गए निर्देश से निगम स्तर पर प्रकरणों के निराकरण में होने वाली वैद्यानिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 186 दिनांक 13–08–2010 से लिये गये निर्णय अनुसार व्यवहारिक कठिनाईयों/विसंगतियों के संबंध में निगम द्वारा शासन को पत्र जारी किया गया है वर्तमान तक शासन आदेश अपेक्षित है।

4. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में ब्लॉक नंबर 97 मकान नंबर 43, रोड़ नं. 6 परदेशीपुरा, इन्दौर का पैकी भाग 1500 वर्गफुट भूमि का लीज नामांतरण, आवेदिका श्रीमती सुषमा पति राजेन्द्र तिवारी (द्वितीय आवंटी) के पक्ष में आवंटन करने की अनुशंसा के साथ शासन को पूर्व प्रेषित पत्रों एवं विस्तृत स्थिति से अवगत कराते हुए नियमानुसार शासन स्वीकृति प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर
पंजीयन क्रमांक 199

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 211 दिनांक 30–06–2012</u>

निविदा आमंत्रण करने के संबंध में निम्नांकित प्रकरणों पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त एस.ओ.आर. दिनांक 01जुलाई 2012 से परिवर्तन होने से निम्नांकित प्रकरणों में नये एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार कर प्रकरण 10 दिवस की अवधि में नियमानुसार प्रस्तुत किये जावे।

अनु क्र.	आयुक्त पत्र क्रमांक/दिनांक	विषय
1	2	3
1	क्र.82दि.14.11.11	झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 56 में गुरुद्वारा के समीप माणिकबाग गेट से पुरानी बनी सडक तक जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट के संबंध में
2	क्र.78दि.14.11.12	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 03 के अन्तर्गत कान्यकुब्ज नगर से खाटू श्याम मंदिर,अंबिकापुरी पहुॅच मार्ग का सीमेन्ट कांक्रीट के संबंध में
3	क्र.118दि.31.1.12	झोन क्र. 7 वार्ड क्र.37 में स्कीम नं. 114 पार्ट प्रथम के राजीव आवास विहार के पीछे वाली सड़क म.नं. 1399 टी से मार्थोमा पब्लिक स्कूल तक रोड का सीमेंटीकरण करना।
4	क्र.91दि. 3.12.11	झोन क्र. 15 वार्ड क्र.69 के अन्तर्गत स्कीम. न.71 के डी सेक्टर से होटल लीजेण्ड से जगदीशपुरी वाले मुख्य मार्ग का सीमेंटीकरण करने के संबंध में
5	क्र.76दि.03.11.11	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 54 के अन्तर्गत बैराठी कॉलोनी में मनोहर धवन के घर के पीछे बेकलेन में सीमेंट कांक्रीट के संबंध में
6	क्र.97 दि.9.12.11	हाथीपाला उर्दू स्कूल परिसर में मुख्य द्वार बनाना एवं प्रथम तल पर कक्षों का निर्माण करने के संबंध में
7	क्र132दि.01.03.12	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत हाथीपाला पुल के पास नाले किनारे आर.सी. सी. रिटेनिंग वाल का निर्माण करने के संबंध में
8	क्र.90दि.28.11.11	झोन क्र.07 वार्ड क्र.37 में स्कीम. नं. 114 पार्ट प्रथम मुख्य मार्ग एवं स्कीम नं. 78 को जोड़ने वाला मार्ग मकान नं. 1140 से हायर सेकेण्डरी स्कुल –2 होते हुये एम.आर. 11 के रोड़ का सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध ।
9	क्र.84दि.21.11.11	झोन क्र .09 वार्ड क्र. 30 एल.आई.जी. एल सेक्टर नादिया नगर के सामने नाले में रिटेनिंग वाल निर्माण करने के संबंध में ।
10	क्र.2632दि.20.01.12	यशवंत सागर बांध स्थल पर डाउन स्ट्रीम के दोनो किनारों पर ट्रेनिंग वाल बनाने के संबंध में ।
11	क. 561 दि. 4.6.12	झोन कमांक 07 वार्ड कमांक 37 के अन्तर्गत स्कीम नं. 114 के मुख्य मार्ग ए.बी.रोड़ से राजीव आवास विहार तक के मध्य सेन्ट्रल लाईटिंग प्रकाश व्यवस्था के संबंध में ।
12	क्र.103 दि.16.01.12	झोन क्र. 8 वार्ड 40 के अन्तर्गत पटेल मोहल्ला म. न. 546 नया 480 से एम.आर. 09 तक रोड का जनसहयोग से सीमेन्टीकरण के संबंध में।
13	क्र.140दि.5.3.12	झोन कमांक 10 वार्ड कमांक 48 में वैभव नगर में बी. सेक्टर में माता मंदिर के सामने सड़क का निर्माण करने के संबंध में।
14	क्र.5 दि. 26.4.12	झोन क्र.10 वार्ड क्र.48 के अन्तर्गत ब्रजेश्वरी एक्स. कॉलोनी मुख्य मार्ग म.न. 127से133 ए/1सेए/8व आसपास जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में।
15	क्र.04दि.16.11.11	प्राणी संग्रहालय में नाले किनारें कम्पाउण्डवाल का निर्माण करने के संबंध में
16	क्र.05दि.16.11.11	प्राणी संग्रहालय में मिनि जंगल (ब्लेकबक व एम्पाला डिअर एनक्लोजर) का निर्माण करने के संबंध में।
17	क्र.61दि.13.10.11	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 05 के अन्तर्गत हुकुमचंद कालोनी रिक्शा स्टेण्ड से पुलिया तक सड़क किनारे नाले की आर.सी.सी. रिटेनिंग वाल का निर्माण करने।
18	क्र.66 दि. 13.10.11	वार्ड 15 के अन्तर्गत अहिल्या पल्टन में स्थित शा हिन्दी माध्यमिक विद्यालय कमांक 39 में रूफींग एवं फ्लोरिंग बदलना तथा अन्य आवश्यक दुरूस्ती कार्य करने हेतु

अविरत—2

19	क्र.51 दि. 29.08.11	झोन कमांक 13 बिजलपुर गांव में शा.प्रा. स्कूल से ओमप्रकाश आर्य के मकान के चौक तक सीमेंट कांक्रीट की लिंक रोड़ बनाने के संबंध में
20	क्र. 58 दि.28.09.11	छोटा स्टेडियम में स्केटिंग रिंग के निर्माण करने के संबंध में
21	क्र.1659दि.27.09.11	यशवंत सागर पर कर्मचारी क्वाटर निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में
22	क्र.1188दि.13.01.12	उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र. 03 वार्ड क्र. 17 के अन्तर्गत बाल उद्यान स्थित वाटर रिचार्जिंग तालाब की दिवाल बनाने के संबंध में
23	क्र.2580दि.16.01.12	झोन क्रमांक 13 वार्ड क्र. 52 के अन्तर्गत आनंद नगर चितावद के बी.जे विहार से नेमावर रोड तक ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में
24	क्र.71 दि. 03.11.11	झोन क्रमांक 07 स्कीम न. 74 से स्कीम न. 114 राजीव आवास विहार को जोड़ने वाली सड़क का सीमेंट काक्रीट करने के संबंध में
25	क्र.111दि. 31.01.12	झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 42 के अन्तर्गत अमन नगर म.नं. 01 से 50 एवं 51 से 63 तथा आसपास की रोडो का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में
26	क्र.113 दि.31.01.12	**>ksu Ø- 08 okMZ Ø- 42 ds vUrxZr eulc uxj cLrh esa tulg;ksx ls lhesUV dkaØhV djus** के संबंध में
27	क्र.124दि. 31.01.12	झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 42 के अन्तर्गत इल्यास कॉलोनी सी सेक्टर अली किराना के सामने गलियों का जनसहयोग से सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 602 दिनांक 30.6.2012

प्रतिलिपीः—

1. आयुक्त संलग्न 27 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 200

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 212 दिनांक 30–06–2012

वार्ड क्रमांक–31 जनता क्वाटर्स कालोनी की जल वितरण व्यवस्था के पुर्न उत्थान का कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 9391 दिनांक 24.11.2011 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त एस.ओ.आर. दिनांक 01 जुलाई 2012 से परिवर्तन होने से प्रकरण में नये एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार कर प्रकरण 10 दिवस की अवधि में नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 201

मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 213 दिनांक 30-6-2012

ईलाज हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के सबंध में आवेदक श्री अब्दुल गनी पिता अब्दुल हकीम पता-6-7/2 कटकटपुरा जूनी इन्दौर, के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को **3000/-(तीन हजार रूपए मात्र)** की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 ‘‘ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय‘‘ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. न. पा. (मेयर-इन कौसिंल/प्रेसिडेंट इन कौसिंल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक **श्री अब्दुल गनी पिता अब्दुल हकीम** के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.................... दिनांक...............

प्रतिलिपीः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 202

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 214 दिनांक 30–06–2012

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 50 मयूर नगर गली नं. 04 में जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 85/सी.ई.0/बिल्स/12–13 दिनांक 29–06–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,97,872/– की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग के रुप में अनुमान पत्रक राशि रुपये 11,97,872/– में से 1183 बैग सीमेन्ट जनसहयोग की राशि रुपये 3,55,000/– प्राप्त की जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक.

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 204

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 215 दिनांक 30–06–2012

शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए नगरीय क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था करने के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 191 दिनांक 16–04–2012 पर शिक्षा समिति की राय क्रमांक 695 दिनांक 05–06–12 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प 258 दिनांक 13–10–11 एवं निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 120 दिनांक 30–11–11 एवं अपर आयुक्त के आदेश क्रमांक 128 दिनांक 14–06–12 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न स्थिति अनुसार शैक्षणिक सत्र 2011–12 के लिये नगरीय क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मदरसों में पकाकर मध्यान्ह भोजन वितरित करने की व्यवस्था पूर्व से से कार्यरत संस्था नांदी फाउण्डेशन हैदराबाद से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिसकी अवधि 30 अप्रैल 2012 को पूर्ण होने से आगामी शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिये नगरीय क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मदरसों में पकाकर मध्यान्ह भोजन वितरित करने की व्यवस्था करने के संबंध में स्वीकृति चाही गई।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में नगरीय क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं व मदरसों में पकाकर मध्यान्ह भोजन वितरित करने हेतु गत वर्ष अनुसार शैक्षणिक सत्र. 2012–13 के लिये दिनांक 16–06–12 से दिनांक 31–07–12 तक की अवधि के लिये मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का कार्य पूर्व ऐजेन्सी नांदी फॉउण्डेशन, हैदराबाद से कराये जाने हेतु अपर आयुक्त के आदेश क्रमांक 128 दिनांक 14–06–12 की पुष्टि एवं शेष शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिये दिनांक 01–08–12 से शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक पूर्व से कार्यरत संस्था नांदी फाउण्डेशन हैदराबाद से मध्यान्ह भोजन व्यवस्था कराने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा, कार्य प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

4. समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वितरित किये जा रहे मध्यान्ह भोजन वितरण प्रणाली का समय–समय पर प्रभारी शिक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 617–18 दिनांक 30.06.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 205

मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 216 दिनांक 30–06–2012

राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत झोनल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची सूचनार्थ/अवलोकनार्थ के संबंध में उपायुक्त शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक 750/श.ग.उ.प्र./12–13 इन्दौर, दिनांक 15–06–2012 पर प्रभारी महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 75 दिनांक 22–06–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त सदर प्रकरण से मेयर–इन–कौंसिल अवगत हुई।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 621–22 दिनांक 30.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त संलग्न 07 फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 206

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 217 दिनांक 30–06–2012

राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत झोनल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची सूचनार्थ/अवलोकनार्थ के संबंध में उपायुक्त शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक 679/श.ग.उ.प्र./12–13 इन्दौर, दिनांक 22–06–2012 पर प्रभारी महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 76 दिनांक 22–06–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त सदर प्रकरण से मेयर–इन–कौंसिल अवगत हुई।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 615–16 दिनांक 30.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त संलग्न 13 फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 207

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 218 दिनांक 30–06–2012

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के संबंध में उपायुक्त का पत्र क्रमांक 776/श.ग.उ.प्र./12 इन्दौर, दिनांक 19–06–2012 पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 74 दिनांक 22.6.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत झोनल अधिकारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये 22 आवेदकों का अनुमोदन किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 619–20 दिनांक 30.06.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 208

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 219 दिनांक 30–06–2012

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के संबंध में उपायुक्त का पत्र क्रमांक 571/श.ग.उ.प्र./12 इन्दौर, दिनांक 30–05–2012 पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की राय क्रमांक 50 दिनांक 01.6.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत झोनल अधिकारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये 32 आवेदकों का अनुमोदन किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 613–14 दिनांक 30.6.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 209

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 220 दिनांक 30–06–2012

शहर के विभिन्न वार्डो में नदी/नालों पर पैदल पुल एवं पुलियाओं का निर्माण (पैकेज–1 राशि रुपये 150.00 लााख) के कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 336/सी.ई./योजना दिनांक 29/06/12 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 272 दिनांक 13–10–2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के विभिन्न वार्डो में नदी/नालों पर पैदल पुल एवं पुलियाओं का निर्माण (पैकेज–1 राशि रुपये 150.00 लाख) के कार्य हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 05–06–12 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति एवं तकनीकी समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स चन्द्रभान आयलदास, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर राशि रुपये 78.28 प्रतिशत अधिक (यू.ए.डी.डी.एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2011 पर) की राशि रुपये 117.42 लाख सहित कुल राशि रुपये 267.42 लाख के कार्य कराने की तकनीकी, प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 623–24 दिनांक 30.6.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 211

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 221 दिनांक 30–06–2012

शहर के प्रमुख मार्गो पर नदी/नालों पर स्थित पुल का निर्माण (पैकेज–1) के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 337/सी.ई./योजना दिनांक 29/06/12 पर विचार किया गया। नगर पलिक निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 63 दिनांक 12.11.2010 व मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 179 दिनांक 28.06.12 तथा निगोशिएशन कार्यवृत का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका, तकनीकी समिति की राय एवं निगोशिएशन कार्यवृत में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के प्रमुख मार्गो पर नदी/नालों पर स्थित पुल के निर्माण (पैकेज–1) कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 10.00 करोड़ पर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से द्वितीय बार दिनांक 18–06–12 को प्राप्त 02 निविदाओं में तकनीकी समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि. नई दिल्ली, की निगोशिएटेड दर राशि रुपये 82.5 प्रतिशत अधिक (यू.ए.डी.डी.एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2011 पर) की राशि रुपये 8.25 करोड़ सहित कुल राशि रुपये 18.25 करोड़ के कार्य कराने की तकनीकी, प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पुल निर्माण कार्य हेतु पैकेज्स में निविदा आमंत्रित करने हेतु निविदा प्रपत्र का अनुमोदन।

4. परिषद प्रस्ताव क्रमांक 63 दिनांक 12.11.2010 से स्वीकृति योजना अनुसार पुल निर्माण कार्य हेतु इन्दौर डेवलपमेंट फण्ड लि. के अन्तर्गत कार्य कराये जाने की तथा आवश्यक धनराशि इन्दौर डेवलपमेंट फण्ड लि. के अकाउन्ट में ट्रान्सफर करने की स्वीकृति।

5. निविदा प्रावधान अनुसार प्राईज वेरियेशन एडजेस्टमेंट (एस्केलेशन) का भुगतान करने की स्वीकृति।

6. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 611–12 दिनांक 30.6.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 213

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 222 दिनांक 30–06–2012</u>

उद्यान विभाग के अन्तर्गत मेद्यदूत उपवन में पूर्वानुसार 50 श्रमिकों को रखे जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 155 दिनांक 22.6.12 पर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा विभाग राय क्रमांक 16/खाद्य दिनांक 26–06–2012 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 384, दिनांक 07–07–2003 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 384, दिनांक 07–07–2003 द्वारा मेद्यदूत उपवन में उपवन के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु उपवन का ठेका होने तक 50 सफाई श्रमिकों को 29–29 दिवस पर रखा गया था। दिनांक 14 सितम्बर 2002 से ठेका समाप्त होने के पश्चात मेद्यदूत उपवन का संचालन/संधारण का कार्य उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपवन का ठेका नहीं दिये जाने के कारण उक्त 50 श्रमिकों से कार्य लिया जाकर विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 384, दिनांक 07–07–2003 द्वारा उक्त 50 श्रमिकों से लिये गये कार्य/भुगतान की पुष्टि तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस के आधार नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 30–11–2012 तक की कार्यावधि तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

4. कार्यरत मस्टर श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करने हेतु प्रभारी उद्यान एवं उद्यान अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

5. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 609–10 दिनांक 30.6.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 214

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 223 दिनांक 30–06–2012

अतिरिक्त ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 196 दिनांक 22.5.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 12 (हरसिद्वि) के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 64 में स्थित बस्तियों में जबरन कॉलोनी,मरीमाता का बगीचा, भीमगिरी गली, भाट मोहल्ला,शेखर नगर,आलापुरा,मोती तबेला,मिल्लत नगर, हाथी खाना मस्जिद आदि बस्तियों में ड्रेनेज सफाई/लाईन चौकर नहीं हो के दृष्टिगत कार्य मेन्टेनेंस हेतु 05 ड्रेनेज सफाई अस्थाई मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर 29–29 दिवस की अवधि पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) माह नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 तक लिये गये कार्य राशि रूपये 87,580/– का भुगतान करने तथा माह मार्च 2012 से दिनांक 30.11.2012 तक की अवधि वृद्वि करने स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही पारिश्रमिक भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 673–74 दिनांक 31.07.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 250

मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 224 दिनांक 30–06–2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 ब्रजेश्वरी मेन कालोनी म. नं. 14 एवं म. नं. 7–बी. के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ–वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30–06–2012पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 14,00,000/– पर दिनांक 26.02.2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स प्रज्ञा बिल्डर्स द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 2.11 प्रतिशत कम की राशि रूपये 29,540/– रहित कुल आकार राशि रूपये 13,70,460/– के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 625–26 दिनांक 30.7.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 245

मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 225 दिनांक 30–06–2012

झोन क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 33 के अन्तर्गत राम नगर में शासकीय भूमि पर संस्कार केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 63/सी.ई./बिल्स/12–13 दिनांक 29–06–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 42,22,500/– पर दिनांक 28.05. 2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स जीत कंस्ट्रक्शन द्वारा

इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 631–32 दिनांक 30.6.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 246

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 226 दिनांक 30–06–2012</u>

उद्यान विभाग के अन्तर्गत शहर के 103 उद्यानों में पौधारोपण हेतु मिट्‌टी भराव करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30–6–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15,20,000/– पर दिनांक 26.02.2011 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स पारस कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आर. दर रूपये 0.86 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 13,072/– सहित कुल आकार राशि रूपये 15,33,072/– के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 633–34 दिनांक 30.6.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 252

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 227 दिनांक 30–06–2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 35 सुखलिया म.नं. सी.–एच 520 एवं 605 के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्डवाल एवं पाथ–वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30–6–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,68,000/– पर दिनांक 21.06.2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सिमरन इन्टरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आर. दर रूपये 6 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 58,080/– सहित कुल आकार राशि रूपये 10,26,080/– के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 627–28
दिनांक 30.07.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 253

मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 228 दिनांक 30–06–2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 62 विनय नगर, सांई मंदिर उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ–वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30–06–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 9,88,000/– पर दिनांक 07.03.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स विनोद शर्मा द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 05 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 49,400/– रहित कुल आकार राशि रूपये 10,37,400/– के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 629–30
दिनांक 30.07.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर